कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी—सीतापुर।

संख्या 414 /निर्वाचन—13/ई0वी0एम0/वी0वी0पैट—निविदा/2021 दिनांक 04 अक्टूबर,2021

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन—2022 के प्रयोगार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा बी0ई0एल0मेक एम—3 माडल की सी0यू0 तथा वी0वी0पैट निम्नांकित विवरण के अनुसार जनपद—सीतापुर को आवंटित की गयी हैं—

Sr. No.	Name of Receiver District of Uttar Pradesh	Make & Model	Name of State	Name of Sender District	CU	VVPAT
1	2	3		4	5	6
1	Sitapur	BEL-M3	Rajasthan	Alwar	2800	0
				Jaipur	1320	1300
				Karauli	1250	1320
			Total		**5370**	**2620**
2	Sitapur	BEL-M3	Tamilnadu	Perambalur	0	270
				Ariyalur	0	200
				Thanjavur	0	960
				Dharmapuri	0	245
				Krishnagiri	0	785
			Total		**0**	**2460**

उपरोक्तानुसार आंवटित सी0यू0 एवं वी0वी0पैट को राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य के उक्त जनपदों से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जी0पी0एस0युक्त पूर्ण बन्द कन्टेनर में जनपद—सीतापुर में सुरक्षित लाने हेतु परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग सहित पंजीकृत फर्मो से दिनांक 08.10.2021 (शुक्रवार) को सायं 3.00 बजे तक मुहरबन्द अति अल्पकालिक निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। जो उसी दिन सायं 4.00 बजे सार्वजनिक रूप से अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) सीतापुर के कार्यालय कक्ष में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक फर्म निविदा फार्म का मूल्य रूपये—500.00(रूपये पांच सौ) मात्र जिला निर्वाचन कार्यालय,सीतापुर में नगद जमा करके निविदा फार्म दिनांक 08—10—2021के अपरान्ह 1.00 बजे तक किसी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी,सीतापुर के पक्ष में धरोहर राशि रूपये—20000.00(रूपये बीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 जमा करना होगा। निविदा की सम्पूर्ण शर्ते निविदा फार्म में अंकित है। किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर में निहित होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते जनपद—सीतापुर के बेवसाइट (Sitapur.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अपर जिलाधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सीतापुर

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी,महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा प्रकाशन को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

3— DIO,(NIC) सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना एवं शर्तो को NIC की वेबसाइट पर जन सामान्य हेतु अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4— सहायक सूचना निदेशक सूचना/जिला सूचना अधिकारी,सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्रों में निर्धारित मानक के अनुसार स्थान पर स:शुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सूचना विभाग से देयक सत्यापित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

5— सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,सीतापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6— नाजिर,कलेक्ट्रेट/विकास भवन/जिला पंचायत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

7— जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सीतापुर।

जिला निर्वाचन कार्यालय सीतापुर SITAPUR District Election Office

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के प्रयोगार्थ राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य से बी0ई0एल0मेक एम–3 माडल की सी0यू0 तथा वी0वी0पैट नीचे उल्लिखित विभिन्न राज्यों के जनपदों से जनपद–सीतापुर लाने हेतु कमांक–1 से 11 से उल्लिखित विभिन्न शर्ते :–

Sr. No.	Name of Receiver District of Uttar Pradesh	Make & Model	Name of State	Name of Sender District	CU	VVPAT
1	2	3		4	5	6
1	Sitapur	BEL-M3	Rajasthan	Alwar	2800	0
				Jaipur	1320	1300
				Karauli	1250	1320
			Total		**5370**	**2620**
2	Sitapur	BEL-M3	Tamilnadu	Perambalur	0	270
				Ariyalur	0	200
				Thanjavur	0	960
				Dharmapuri	0	245
				Krishnagiri	0	785

<u>निविदा संख्या– 914 /निर्वाचन दिनांक 04 अक्टूबर ,2021 की शर्ते–</u>

1– फर्म का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

2– निविदा फार्म का मूल्य रूपये–500–00 नगद जमा कर निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 08–10–2021 के अपरान्ह 1.00बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म का मूल्य वापस नही होगा।

3– निविदादाता फर्म को टेक्निकल एवं फाइनेंसियल विड अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द करके एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द करके प्रस्तुत करना होगा। पहले टेक्निकल विड का लिफाफा खोला जायेगा, जिस पर फर्म की शर्ते पूर्ण होगी, उक्त फर्म की फाइनेंसियल विड खोली जायेगी अन्यथा नही खोली जायेगी।

4– धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट या एफ0डी0आर0 को जिला निर्वाचन अधिकारी,सीतापुर के पक्ष में देय होगा, मूल रूप में जमा करना होगा।

5– फर्म को विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के प्रयोगार्थ राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जनपदों से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जी0पी0एस0युक्त पूर्ण बन्द कन्टेनर में सुरक्षित जनपद–सीतापुर स्थित वेयर हाउस में पहुॅचाना अनिवार्य होगा। फर्म को लोडिंग एवं अनलोडिंग करना अनिवार्य है। लोडिंग एवं अनलोडिंग न किये जाने की दशा में किसी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।

6– कार्य समाप्ति के पश्चात् भुगतान हेतु बिल एक सप्ताह के अन्दर दो प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा कार्यालय उत्तरदायी नही होगा और न तो भुगतान किये जाने की जिम्मेदारी कार्यालय की होगी। भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा निर्धारित मानक मद के अन्तर्गत ही देय होगा। मानक से अधिक धनराशि अनुमन्य नही होगी और न ही कोई विचार ही किया जायेगा।

7– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ से बजट आवंटन स्वीकृत/प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

8– किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय जनपद–सीतापुर होगा।

9– कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त करते हुए भुगतान नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर बिना कारण बताये किसी अन्य फर्म से कार्य करा सकते हैं।

10– निविदा स्वीकृति होने पर निविदादाता फर्म को रूपये–100.00 के स्टैम्प पर अनुबन्ध करना होगा।

11– किसी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकृत नही किया जायेगा। किसी भी निविदा को पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर के पास सुरक्षित होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय सीतापुर SITAPUR District Election Office

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
सीतापुर।